

न्यायालय— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला—बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्र.क्र.क्रमांक—1204/2014
 संस्थित दिनांक—10.12.2014
 फाईलिंग क्र.234503009782014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर,
 जिला—बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// विरुद्ध //

श्रीलाल रजक पिता सोमलाल रजक, उम्र—32 वर्ष, जाति धोबी,
 निवासी—ग्राम सरेखा, थाना बैहर,
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—08/07/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 (भाग—दो) के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—10.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम सरेखा में लोकस्थान पर फरियादी हरिलाल को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, फरियादी हरिलाल को हाथ—मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा आहत हरिलाल को दांत से बाएं अंगूठे में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—10.01.2014 को रात्रि करीब 8:00 बजे फरियादी हरिलाल रजक के पिता सोमलाल से उसका छोटा भाई श्रीलाल बकरा बेचने की बात पर से उसे मादरचोद—बहनचोद की गंदी—गंदी गालियां देकर विवाद करने लगा और हाथ—मुक्कों से मारपीट करने लगा। वह तथा उसका काका और भाई दुर्गेश ने आकर बीच—बचाव किया तब आरोपी श्रीलाल ने उसे गंदी—गंदी गालियां देते हुए उसके बाएं हाथ के अंगूठे को पकड़कर दांत से काटकर चोट पहुंचाया, तब उसके चिल्लाने पर उसके पिता, उसके काका तथा दुर्गेश ने आकर बीच—बचाव कर उनको अलग किये, तब आरोपी श्रीलाल नहीं माना और मादरचोद की

गाली देते हुए बोला कि अब तो बच गया, दोबारा बीच-बचाव किया तो जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी हरिलाल ने द्वारा थाना बैहर में आरोपी के विरुद्ध की गई। उक्त रिपोर्ट पर आरक्षी केन्द्र बैहर में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-186/14, धारा-294, 323, 324, 506 भाग-2 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई तथा आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा गवाहों के कथन लिये गये। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर अनुसंधान उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 324, 506 (भाग-दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान फरियादी हरिलाल ने आरोपी से राजीनामा कर लिया जिसके फलस्वरूप आरोपी के विरुद्ध धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.द.वि. के अपराध का शमन किया गया है तथा शेष अपराध अंतर्गत धारा-324 भा.द.वि. के तहत विचारण पूर्ण किया गया है। आरोपी ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-10.01.2014 को रात्रि 8:00 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अन्तर्गत ग्राम सरेखा में फरियादी हरिलाल को दांत से बाएं अंगूठे में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5- हरिलाल (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना लगभग 6-7 माह पूर्व की है। आरोपी उसका भाई है। आरोपी और उसके बीच में मौखिक विवाद हो गया था, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा कोई घटना नहीं घटी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अपने कथन में अभियोजन मामलों का समर्थन नहीं किया है। साक्षी ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट उसके बताए अनुसार लेख किये जाने से इंकार किया है।

साक्षी ने उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3, नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

6— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत स्वयं फरियादी/आहत हरिलाल (अ.सा.1) ने अभियोजन मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। उक्त साक्षीगण के अलावा अभियोजन की ओर से किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी या महत्वपूर्ण साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध आहत हरिलाल को कथित दांत से बाएं अंगूठे में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है।

7— उपरोक्त संपूर्ण विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि घटना के समय आरोपी ने आहत हरिलाल को कथित दांत से बाएं अंगूठे में काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतएव आरोपी को धारा-324 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

8— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट